

आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

दा. ला. 234/13-14

(देखें अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

जिला से 200

आदेश की क० सं० और ना०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

20/04/13

श्री मती खसंती देवी
 W/o श्री लक्ष्मी नारायण महल
 बस ग्राम कुशोनी
 थाना कौरमा जिला शेरपुरा
 का बाला नं० 4748 दिनांक 20/03/2007

के आधार पर निम्नोक्त जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

तैजा का नाम	तैजी नं०	खाता नं०	खसरा	एराजी
<u>पहाड़ी</u>	<u>227</u>	<u>246</u>	<u>1727</u>	<u>कच्छर</u>
<u>14</u>				<u>01-0</u>
				<u>(रक कड़ा)</u>
				<u>1-00</u>

मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु नें दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर।
 अभिलेख दिनांक को उपस्थित करें

अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी

महाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुशासा किया है। फलतः उनके अनुशासा के आधार पर दाखिल खरिज किया जाता है शुरु पत्र जारी करें।

लिखित पत्र जारी किया।
 अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी